कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 23.06.2017

प्रस्ताव क्रमांक–1

उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा राजनांदगांव से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 का अवलोकन करने बावत् ।

संकल्प –01

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा किया गया । वर्ष 2015–16 का अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तत्पश्चात परिषद में रखे जाने की अनुशंसा सर्वसम्मति से किया गया।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन– काउंसिंल की बैठक दिनांक 23.06.2017

प्रस्ताव क्रमांक–2

संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय दुर्ग से प्राप्त पत्र पृ.क्रमांक 5502/सि.सू.शा/2017 दुर्ग दिनांक 22.04.2017 विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही बावत्।

संकल्प –02

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया। सभी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के नाम संशोधित कर पुरानी भिलाई लिखे जाने से संबंधित है। नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा/नगर निगम भिलाई–चरौदा के नाम से राज पत्र में गठन प्रकाशित हुआ है तथा उनके नाम से पत्राचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में पुरानी भिलाई नाम से पत्राचार किया जाना संभव नही है। अतः प्रकरण निरस्त किये जाने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।

सलाहकार समिति के सुझाव एवं प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा किया गया पत्र में मांग किया गया है कि इस निकाय क्षेत्र का नाम पुरानी भिलाई रखा जावे। तत्तसंबंध में पाया गया की नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा में विभिन्न 15 ग्रामो को मिलाकर निगम का गठन किया गया है, ऐसी स्थिति में इन राजस्व ग्रामों का नाम विलोपित किया जाना उचित नही होगा। निकाय का नाम राजपत्र में नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा में नाम से प्रकाशित है। जिसमें समाहित ग्रामों का नाम भी प्रकाशित है। अतः प्रकरण परिषद में रखने की अनुशंसा सर्वसम्मति की गई है।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन– काउंसिंल की बैठक दिनांक 23.06.2017

प्रस्ताव क्रमांक–3

वर्ष 2016–17 में सफाई कामगार प्रदाय की निविदा की कार्यावधि माह सितम्बर 2017 को समाप्त हो रही है। आगामी वर्ष 2017–18 के लिए निविदा आमंत्रन की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

छ.ग.शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय,महानदी भवन,नया रायपुर के आदेश क्रमांक–एफ 4–11/2015/18 विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.07.2015 द्वारा नगर पालिक निगम, भिलाई–चरोदा में प्लेसमेंट पर कुशल/अर्द्वकुशल/अकुशल श्रमिकों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है,जो राज्य शासन एतद् द्वारा निरस्त करते हुए नगर पालिक निगम,भिलाई–चरोदा, के लिए प्लेसमेंट पर कुशल/अर्द्वकुशल/अकुशल श्रमिकों की निम्नानुसार अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है।

उपरोक्तानुसार 106 श्रमिक (सफाई) कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त हैं। जिनका पारिश्रमिक कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाना है। प्रचलित कलेक्टर दर पर भुगतान किये जाने पर अनुमानित व्यय निम्नानुसार है:–

पद	संख्या	प्रचलित कलेक्टर दैनिक दर	कुल वार्षिक (365 दिन)	भविष्य निधि (13.61 प्रतिशत)	कुल राशि
अकुशल श्रमिक (सफाई)	106	277.34X106=29398.04	1,07,30,285.00	14,60,391.73	1,21,90,676.30
	106	**योग**			**1,21,90,676.30**
01 अक्टूबर 2017 से एवं 01.04.18 तक 10 प्रतिशत श्रमिक दरों में वृद्वि से संभावित अतिरिक्त व्यय					**12,19,067.00**
		योग			**1,34,09,743.00**
10 प्रतिशत प्रर्यवेक्षण शुल्क 13,40,974.00					
				महायोग	**1,47,50,717.00**

शासन निर्देशानुसार कंडिका क्रमांक 01 से 11 नियम शर्तो का पालन करते हुये एवं उपरोक्तानुसार राशि **1,47,50,717.00** रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा प्रारूप अनुमोदनार्थ हेतु प्रकरण एम.आई.सी./परिषद के स्वीकृति हेतु प्रस्तावित।

संकल्प –03

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई प्रस्ताव अनुसार निविदा की कार्यवाही किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति लिया जाता है।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन– काउंसिल की बैठक दिनांक 23.06.2017

प्रस्ताव क्रमांक–4

वर्ष 2016–17 में कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक प्रदाय की निविदा की कार्यावधि माह सितम्बर 2017 को समाप्त हो रही है। आगामी वर्ष 2018–18 के लिए निविदा आमंत्रन की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश कमांक–एफ 4–11/2015/18 विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.07.2015 द्वारा नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा में प्लेसमेंट पर कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, जो राज्य शासन एतद् द्वारा निरस्त करते हुए नगर पालिक निगम,भिलाई–चरौदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) के लिए प्लेसमेंट पर कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल/ श्रमिकों की निम्नानुसार अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है।

उपरोक्तानुसार 62 श्रमिक कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त है। जिनका पारिश्रमिक कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाना है। प्रचलित कलेक्टर दर पर भुगतान किये जाने पर अनुमानित व्यय निम्नानुसार है:–

पद	संख्या	प्रचलित कलेक्टर दैनिक दर	कुल वार्षिक (365 दिन)	भविष्य निधि (13.61 प्रतिशत)	कुल राशि
उच्चकुशल) क.आ. –07	7	351.00X07=2457.00	8,96,805.00	1,22,055.16	**10,18,860.16**
(कुशल) वा.चा.–10, हे.मे.–04	14	325.00X14=4550.00	16,60,750.00	2,26,028.08	**18,86,778.08**
(अकुशल) माली–02, चौकी.–09, श्रमि–08	19	277.34X19=5269.46	19,23,352.90	2,61,768.32	**21,85,121.23**
(अर्द्धकुशल) पम्प.अ.–20, लाईनमेन(प्लम्बर)–02	22	299.00X22=6578.00	24,00,970.00	3,26,772.01	**27,27,742.02**
	62	योग			**78,18,501.49**
01 अक्टूबर 2017 से एवं 01.04.18 तक 10 प्रतिशत श्रमिक दरों में वृद्वि से संभावित अतिरिक्त व्यय					**7,81,850.00**
		योग			**86,00,351.00**
10 प्रतिशत प्रर्यवेक्षण शुल्क 8,60,035.00					
				महायोग	**94,60,386.00**

शासन निर्देशानुसार कंडिका कमांक 01 से 11 नियम शर्तो का पालन करते हुये एवं उपरोक्तानुसार राशि **94,60,386.00** रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा प्रारूप अनुमोदनार्थ हेतु प्रकरण एम.आई.सी./परिषद के स्वीकृति हेतु प्रस्तावित।

<u>संकल्प –04</u>

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई प्रस्ताव अनुसार निविदा की कार्यवाही किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति लिया जाता है।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन– काउंसिल की बैठक दिनांक 23.06.2017

प्रस्ताव क्रमांक–5

निकाय क्षेत्र के विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं में 31.03.2017 तक भवन निर्माण किये बगैर लीज नवीनीकरण एवं नामांतरण पर प्रतिबंध एवं भू–खण्ड का आबंटन निरस्त कर राजसात किये जाने के संबंध में विचारारार्थ।

तत्कालीन विशेष क्षेत्र विकास प्रतिधकरण भिलाई दुर्ग द्वारा उत्तर एवं दक्षिण वसुंधरा नगर आवासीय योजना, विश्व बैंक आवासीय योजना, मानसरोवर आवासीय योजना, ट्रान्सपोर्ट नगर एवं निहारिका परिसर व्यवसायिक योजना में प्रथम आया प्रथम पाया के आधार पर भू–खण्ड आबंटित किये गये। विशेष कर विश्व बैंक आवासीय योजना में भू–खण्ड के आकार के अनुसार 15 एवं 20 वर्षीय किस्तों में भू–खण्ड प्रदाय किये गये। निर्धारित अवधि में सम्पूर्ण प्रब्याजी राशि जमाकर पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण किया जाना अनिवार्य था। इसके सहित उक्त समस्त योजनाओं में पंजीयन तिथि से 02 वर्ष के भीतर भवन (मकान) निर्माण अनिवार्य है इसका उल्लेख लीज–डीड में है। पूर्व निकाय नगर पालिका परिषद, भिलाई–चरौदा, के सामान्य सभा की बैठक दिनांक 30.03.2015 के प्रस्ताव संकल्प क्रमांक–08 में निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

1. समस्त भू–खण्ड धारक जिसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा शेष है, सभी भवन निर्माण हेतु 02 वर्ष अर्थात दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2017 तक अवधि अंतिम रूप से प्रदान की जाती है।
2. निर्धारित अवधि में भू–खण्ड धारक को भू–खण्ड विक्रय की अनुमति नही होगी।
3. निर्धारित अवधि में निर्माण न करने की स्थिति में लीज अवधि समाप्त हो चुकी हो अथवा शेष हो दोनों स्थिति में भू–खण्ड का आबंटन निरस्त कर निकाय के आधिपत्य में लेते हुए जमा राशि से सेवा शुल्क कटौती कर शेष राशि आबंटिती को वापस की जावेगी।

तत्संबंध में भू–खण्ड धारकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अवधि में आंशिक वृद्वि का अनुरोध किया गया है।

अतः प्रकरण सामान्य सभा की बैठक में विचारारार्थ प्रस्तुत।

<u>संकल्प –05</u>

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई सभी प्रकार के योजनाओं में सम्मिलित आवासीय एवं व्यवसायिक भूखंड भवन की जानकारी तथा समय समय पर लीज के संबंध में लिये गये निर्णय की अद्यतन जानकारी तैयारकर प्रकरण पुनःप्रस्तुत की जावे का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जावे।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन– काउंसिंल की बैठक दिनांक 23.06.2017

प्रस्ताव क्रमांक–6

निकाय क्षेत्रान्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत **"सुविधा–24 सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय निर्माण"** योजनान्तर्गत 06 सीटर शौचालय निर्माण जहां पर सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नहीं है एवं निजी शौचालय निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने से कार्यालयीन पत्र क्र./3589/दिनांक – 20.03.2017 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहारी विकास प्राधिकरण को 08 नग सार्वजनिक शौचालय सह सामुदायिक शौचालय हेतु प्रेषित किया। मुख्य कार्यपालन अध्किारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण के पत्र क्र./322/दिनांक – 31.04.2017 द्वारा 08 नग शौचालय हेतु राशि **78.80 लाख** की स्वीकृति प्रदान की गई।

निकाय द्वारा पत्र क्र./366/दिनांक – 31.05.2017 द्वारा परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, दुर्ग को E.O.I. आमंत्रित करने एवं नियम व शर्तें अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। स्वीकृति की प्रत्याशा में पत्र क्र./170/दिनांक – 21.04.2017 द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। निर्धारित तिथि में दो 02 ऑफर प्राप्त हुआ जिसमें 01 एजेन्सी जन उपकार–विकास सेवा समिति रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था एवं Sulabh International Social Service Organization Raipur द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया। एकल प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण प्राप्त ऑफर को निरस्त किया गया।

निकाय द्वारा पुनः द्वितीय बार E.O.I. पत्र क्र./213/दिनांक – 22.05.2017 द्वारा आमंत्रित किया गया निर्धारित दिनांक – 05.06.2017 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

Sulabh International Social Service Organization Raipur के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में अनुभव प्रमाण पत्र टर्न ओवर संलग्न किया गया। तदोपरान्त वित्तीय प्रस्ताव खोला गया जिसमें एजेन्सी द्वारा शासन के स्वीकृत ड्राईंग डिज़ाईन एवं प्राक्कलित राशि **9,85,358.00 X 8 = 78,82,864.00** पर मानचित्र अनुसार निर्माण पर 30 वर्षों तक **"पे एण्ड यूज़"** आधार पर किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।

उपरोक्तानुसार 08 नग सार्वजनिक सह सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु Sulabh International Social Service Organization से स्वीकृत ड्राईंग डिज़ाईन एवं प्राक्कलित राशि **9,85,358.00** पर कराए जाने पर राशि **78,82,864.00** रू. व्यय की वित्तीय स्वीकृति हेतु महापौर परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प –06

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्त कार्य के लिये ई.ओ.आई. 08 नग सार्वजनिक सह सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु Sulabh International Social Service Organization से स्वीकृत ड्राईंग डिज़ाईन एवं प्राक्कलित राशि **9,85,358.00** पर कराए जाने पर राशि **78,82,864.00** रू. व्यय की वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान किया जाता है।